The Chinese response has been that our proposals for alternative routes are under consideration in consultation with the local authorities in the Tibet Autonomous Region (TAR). They have cited difficulties in opening new routes on the grounds that it would involve travel over much longer distances over difficult terrain with poor road conditions, and, lack of proper infrastructure for accommodation and communications. They have also expressed the view that development of infrastructure in these remote areas would not be an easy task and building facilities for alternative routes could take a long time.

Tunjun Pass is located in the Barahoti area of the Chamoli District of Uttar Pradesh. Since the fifties, China has claimed that this Pass is located on the Chinese side.

Government of India, for its part, are willing to consider new routes talking into account the availability of infrastructure and logistical facilities and other relevant factors. Our efforts to open a new route are continuing.

पानी के लिए संघर्ष

*179. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भू-वैज्ञानिकों का विश्वास है कि इक्कीसवीं सदी पानी के लिए संघर्ष की सदी होगी; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का विस्तृत ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि और तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण 21वीं सदी में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में और अधिक कमी आयेगी। स्वतंत्रता के समय देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता प्रति वर्ष 5000 वर्ग घन मीटर से अधिक थी जो अब घटकर 2200 घन मीटर प्रति वर्ष रह गई है और यह अनुमान लगाया गया है कि यह उपलब्धता सन् 2025 तक घट कर लगभग 1500 घन मीटर रह जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के मानदण्ड के अनुसार 1000 घन मीटर प्रति व्यक्ति से कम जल उपलब्धता वाली स्थिति को जल की कमी वाली स्थिति माना जाता है। इसलिए सन् 2025 के अंत में भारत के सामने राष्ट्रीय स्तर पर सामान्यतः जल की कमी की स्थिति नहीं होगी। तथापि, कुछ नदी बेसिन स्तर अथवा स्थानीय स्तर पर जल की कमी की स्थिति है।

भविष्य में प्रति व्यक्ति घटती हुई जल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न नीति और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें राष्ट्रीय जल नीति अपनाना, अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल का हस्तांतरण करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना, विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल के कुशल और किफायती उपयोग को बढ़ावा देना और उसका संरक्षण करना तथा चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू करना शामिल है। सरकार वर्षा के जल पर आधारित खेती और वाटरशेड प्रबंधन को भी बढ़ावा दे रही है।

प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा

*180. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करने के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट में आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार ने इस रिपोर्ट को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को कब तक लागू करना चाहेगी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कादाम्बूर एम०आर० जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:—

1. सभी मंत्रालय/विभाग उनके द्वारा प्रशासनिक

विभिन्न केन्द्रीय कानूनों के तहत नियमों, विनियमों, आदेशों और प्रक्रियाओं तथा आम जनता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मैनुअलों के बारे में अद्यतन सूचना का संकलन करें।

2. ऐसे कानूनों सहित जिनके संबंध में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, लगभग 109 कानूनों की विवेचनात्मक सूची में शीघ्र संशोधन करने पर विचार किया जाए।

3. अंतर्देशीय और विदेशी निवेशकों, व्यापार और उद्योग, उपभोक्ताओं, बिल्डर्स, निर्यातकों और आयातकों की संभावनाओं के संदर्भ में संविधियों, कानूनों और विनियमों के एकीकरण तथा सामंजस्य की भी जरूरत है। इस प्रक्रिया में सरकार को सभी विनियमों, नियमों और आदेशों में प्रयोग की गई भाषा को सरल बनाना चाहिये।

4. (1) आवास और रियल इस्टेट (2) कंपनी कानून (3) बैंकिंग (4) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (5) उद्योग (6) उपभोक्ता मामले (7) स्वास्थ्य (8) पर्यावरण (9) श्रम (10) आयकर (11) उत्पाद एवं सीमा-शुल्क (12) एक्सिम नीति एवं कार्य-विधि संबंधी मसले तथा (13) विद्युत से संबंधित विनियामक ढांचे के बारे में विशिष्ट प्रस्ताव तैयार किये गए हैं। इन सिफारिशों में कार्य-कुशलता की प्रशासनिक अपेक्षाओं, समन्वय और मितव्ययिता के अलावा प्रयोक्ता समूहों की समस्याओं और जरूरतों को आगे रखने का प्रयास किया गया है।

5. इस समय लागू लगभग 2500 कानूनों में से विभिन्न वर्गों के 1300 से ऊपर केन्द्रीय कानूनों को निरस्त करना, जो कि नीचे दिए गए हैं:—

(i) 166 केन्द्रीय अधिनियम (ii) राष्ट्रीयकरण से पहले के अधिनियम और 20 विधि मान्यकरण अधिनियम सहित)

(ii) 315 संशोधन अधिनियम।

(iii) 11 ब्रिटिश संविधिओं जो अभी भी लागू है।

(iv) 17 युद्ध-काल के स्थायी आदेश।

(v) राज्य विषयों से संबंधित 114 केन्द्रीय अधिनियम।

(vi) 700 विनियोग अधिनियम (लगभग) संसद द्वारा पास किये गये।

6. आयोग ने इस आधार पर इनके निरसन की सिफारिश की है कि ये नियम या तो असंगत हो गए हैं अथवा कार्य नहीं कर रहे हैं।

7. समाज के निर्धन और दयनीय सेक्टरों के जीवन को प्रभावित करने वाले कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं के संपूर्ण क्षेत्र का प्रभावी ढंग से अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है।

8. आयोग ने वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का विस्तार करने तथा विचाचन और समाधान अधिनियम का अधिक प्रभावी उपयोग करने की सिफारिश की है। आयोग ने अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को "लोक अदालतों" को सौंपने की भी सिफारिश की है।

(ग) और (घ) आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां नवम्बर, 1998 में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्यों/संघ-शासित क्षेत्र सरकारों के मुख्य सचिवों को इस अनुरोध के साथ भेज दी गई है कि वे उसमें की गई विभिन्न सिफारिशों की जांच करें और इन्हें कार्यान्वित करने हेतु उपयुक्त कार्य योजना तैयार करें। सरकार ने रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिए सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति का गठन किया है। समिति की बैठकें नियमित तौर पर होंगी तथा यह सभी संबंधितों द्वारा विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त योजनाएं तैयार करेगी। चूंकि आयोग की सिफारिशों का संबंध भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ-शासित क्षेत्रों से है, अतः सरकार द्वारा रिपोर्ट को स्वीकार करने से पहले संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ-शासित क्षेत्रों द्वारा विभिन्न सिफारिशों की जांच की जानी होगी।

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

मालपा प्राकृतिक आपदा

1241. प्रो॰ रामगोपाल यादवः
श्री ईश दत्त यादवः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के मालपा तथा अन्य गांवों में भू-स्खलन, बाढ़ व प्राकृतिक-आपदा के कारण जान-माल व पशुधन की हुई क्षति से कोई सबक सीखा है; और